तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (सेवानिवृत्ति के उपरान्त रोजगार की स्वीकृति) विनियम, 1979
(भारत के राजपत्र में दिनांक 1.3.1979 को प्रकाशित)

अनुक्रमणिका

1 लघु शीर्ष एवं आरंभ
2 प्रयोग
3 परिभाषा
4 रोज़गार की अनुमति
5 अनुमति प्रदान करने हेतु शर्तें
6 भारत के बाहर रोज़गार हेतु अनुमति
7 दो वर्ष की अवधि की संगणना
8 अपील
9 फॉर्म ए

स0का0नि0 106(असा0) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के साथ पठित धरा 126 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :–

1 लघु शीर्ष एवं आरंभ

(ए) ये विनियम, तूत्तुक्कुडि पत्तन कर्मचारी (सेवानिवृत्ति के उपरान्त रोजगार की स्वीकृति) विनियम, 1979 कहे जाएँ।

(बी) ये 1 अप्रैल, 1979 से लागू होगें।

2 प्रयोग

ये विनियम, सभी उन कर्मचारियों को लागू होगें, जो कि बोर्ड के अधीन श्रेणी । के पदों को संभाल रहें हैं।

3 परिभाषाएँ

इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूर न हो :–

(ए) '' बोर्ड'' एवं ''अध्यक्ष'' का तात्पर्य, महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) में निहितानुसार की परिभाषा होगी।

(बी) '' श्रेणी । पद '' का तात्पर्य, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) विनियम, 1979 के तहत समय समय पर बोर्ड द्वारा ऐसे वर्गित पदें।

(सी) '' प्राधिकृत प्राधिकारी'' का तात्पर्य, इन विनियमों के उद्देश्य के लिए ''अध्यक्ष''।

(डी) '' पत्तन न्यास '' का तात्पर्य, तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास।

4 रोज़गार के लिए अनुमति

(क) कोई भी व्यक्ति, जो बोर्ड के अधीन श्रेणी । पद संभालते हो, तो सेवानिवृत्त से पहले तुरंत ही, प्राधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बगैर, सेवानिवृत्ति की तारीख से दो वर्ष समाप्त होने से पहले, किसी प्रकार का व्यापारिक रोज़गार स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें , बोर्ड के कार्यों के निष्पादन से संबंधी या ठेकेदार के रूप में या ऐसे ठेकेदार के कर्मचारी के रूप में, रोज़गार शामिल हैं,।

स्पष्टीकरण : इन विनियम के उद्देश्य के लिए, शब्द '' व्यापारिक रोज़गार '' का तात्पर्य है –

(i) किसी भी क्षमता में रोज़गार, जिसमें कंपनी, सहकारी समिति, फर्म या व्यापार, औद्योगिक, वित्तीय या पेशायी व्यापार में व्यस्त व्यक्ति के अधीन एजेन्ट होना भी शामिल है और ऐसी कंपनी एवं ऐसे फर्म की सहभागिता के अधिनायक होना भी शामिल है, लेकिन सरकार द्वारा यर्थाथ रूप से स्वामित्व या नियंत्रित एक पूर्णतया बॉडी कॉर्पोरेट में रोज़गार होना शामिल नहीं है।

(ii) विषय सामग्री, जिसके मामले में सेवानिवृत्त कर्मचारी ने, एक सलाहकार या परामर्शदाता के रूप में, फर्म के एक सहभागी के रूप में या स्वतंत्र रूप में व्यवसाय स्थापित करना।

(ए) स्थापित किये गए प्रथा के मामले में, किसी प्रकार का पेशायी अर्हता एवं विषय सामग्री नहीं है या अपने कार्यालयीन ज्ञान या अनुभव से संबंधी कार्य कर रहे हैं या

(बी) पेशायी अर्हता है लेकिन विषय सामग्री के मामले में, जिसमें प्रथा स्थापित की जानी है से, उसके पिछले कार्यालयीन स्थिति के कारणों द्वारा एक अनुचित लाभ, ग्राहकों को देने की संभावना है ; या

(iii) बोर्ड के कार्यालय या अधिकारियों के साथ संपर्क या ठेके शामिल वाले कार्य कर रहे हों।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इस नियम के अंतर्गत नहीं आते हैं और बोर्ड के साथ किसी भी प्रकार का ठेका लेने के लिए आवश्यक अनुमति प्राप्त नहीं की है ।

(3) संबंधित अधिकारी, जिनको यह नियम लागू होती है, को सेवानिवृत्ति लाभों की मंजूरी के समया पर, ऐसे एक वचनबद्ध फॉर्म, जैसा कि प्राधिकृत प्राध्किारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाए, पर हस्ताक्षर करना होगा कि वें, प्राधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बगैर सेवानिवृत्त होने के दो वर्ष के अंदर किसी प्रकार का व्यवसाय रोज़गार नहीं स्वीकार करेगें।

टिप्पणीः उपयुक्त मूल्य के गैर विधि मोहर कागज़ पर, जिसका मूल्य सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा ही उपगत किया जाएगा उन्हें यह वचनबद्ध देना होगा ।

(4) डिफाल्ट में, एक अधिकारी :–

(i) अगर, बोर्ड के पेन्शन विनियम से प्रशासित होता है तो, उसके द्वारा रोज़गार पर होने की अवधि या प्राधिकृत प्राधिकारी के निदेशानुसार ऐसी लंबी अवधि के दौरान के लिए उन्हें अपनी पेन्शन अर्थदंड करना होगा।

(ii) अगर, अंशदायी भविष्य निधि विनियमों द्वारा प्रशासित होता है तो, पहले के विरूद्ध जाते हुए, वचनबद्धता को मान्य न देने के लिए, प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिए गए अनुसार, बोर्ड को प्रतिपूर्ति करने के उत्तरदायी होगें।

बशर्ते कि ऐसा कोई दाण्डिक लागू करने से पहले, प्रस्तावित दाण्डिक के विरूद्ध अपना प्रतिवेदन देने के लिए, ऐसे अधिकारी को पर्याप्त अवसर देने होगें।

बशर्ते कि आगे एक अधिकारी को अपनी सेवानिवृत्ति की तैयारी छुट्टी के दौरान इस प्रकार का रोज़गार करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी द्वार अनुमति दी गई हो तो, सेवानिवृत्ति के बाद उन्हे फिर दुबारा नयी अनुमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

(5) सेवानिवृत्ति के बाद दो वर्ष के अंदर रोज़गार लेने हेतु अनुमति पाने का आवेदन, विनियम के साथ अनुलग्नित **प्रपत्र ए** में प्राधिकृत प्राधिकारी को भेजना होगा।

5 अनुमति प्रदान करने की शर्तें

इन विनियम के तहत अनुमति को निम्नलिखित उपबंधों को पूरा करने की शर्तों पर ही दिया जाएगा, अर्थात् :–

(ए) क्या अधिकारी ने सेवाकाल के दौरान, प्रस्तावित नियोजक के साथ ऐसा कोई संपर्क रखा हुआ था, जिससे यह शंका होती है कि बादवाले को उसने किसी प्रकार का पक्ष दिखाया था।

(बी) क्या उसके कार्यभार ऐसे थें कि उसके कार्यालयीन ज्ञान एवं अनुभव को, नियोजक को किसी प्रकार का अनुचित लाभ देने के लिए हो सकता है।

(सी) क्या उनके कार्यभार ऐसे हैं कि पत्तन न्यास के विरूद्ध उन्हें ला सकता है।

(डी) क्या प्रस्तावित रोज़गार पूर्णतया संवेदनापूर्ण प्रकृति का है।

टिप्पणी : रोज़गार जिसमें, बोर्ड के साथ संपर्क या ठेके कार्य शामिल हैं तो ऐसे रोज़गार को संवेदापूर्ण प्रकृति के रूप में होना नहीं माना जाएगा।

(ई) अगर किसी प्रकार की अपवादि स्थितियाँ होती हैं, जो कि अस्वीकार हो जाने पर कर्मचारी को कठिनाईयाँ पैदा कर सकती हैं।

6 भारत के बाहर रोज़गार के लिए अनुमति

(1) कोई कर्मचारी (अगर पेन्शन या न्यास के अंशदायी भविष्य निधि योजनाओं द्वारा प्रशासित है) , जिसने अपनी सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले ही बोर्ड के तहत श्रेणी I पद संभाला हुआ

था, प्राधिकृत प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए गए बगैर विदेशी सरकार या भारत के बाहर रोज़गार के अधीन किसी प्रकार का रोज़गार स्वीकार नहीं कर सकता।

(2) अधिकारी को सेवानिवृत्ति लाभों की मंजूरी देने के समय से प्रभावी एक वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करना होगा।

(3) डिफाल्ट में, एक अधिकारी :–

(ए) अगर, न्यास के पेन्शन विनियम से प्रशासित होता है तो, उसके द्वारा रोज़गार पर होने की अवधि या बोर्ड या अध्यक्ष के निदेशानुसार ऐसी लंबी अवधि के दौरान के लिए, उन्हें अपनी पेन्शन अर्थदंड करना होगा; और

(बी) अगर, अंशदायी भविष्य निधि विनियमों द्वारा प्रशासित होता है तो, पहले के विरूद्ध जाते हुए, वचनबद्धता को मान्य न देने के लिए, बोर्ड या अध्यक्ष द्वारा निर्णय लिए गए अनुसार, बोर्ड को प्रतिपूर्ति करने के उत्तरदायी होगें।

बशर्ते कि ऐसा कोई दाण्डिक लागू करने से पहले, प्रस्तावित दाण्डिक के विरूद्ध अपना प्रतिवेदन देने के लिए, ऐसे अधिकारी को पर्याप्त अवसर देने होगें।

बशर्ते कि आगे एक अधिकारी को अपनी सेवानिवृत्ति की तैयारी छुट्टी के दौरान इस प्रकार का रोज़गार करने के लिए प्राधिकृत प्राधिकारी द्वार अनुमति दी गई हो तो, सेवानिवृत्ति के बाद उन्हे फिर दुबारा नयी अनुमति प्राप्त करने की जरूरत नहीं है।

स्पष्टीकरण : विदेशी सरकार के अधीन रोज़गार में स्थानीय प्राधिकारी या निगम या कोई अन्य संस्थान या संस्था, जो कि विदेशी सरकार के पर्यावेक्षण के नियंत्रणाधीन कार्यरत है, शामिल होगें।

7 दो वर्ष की अवधि की संगणना

इन विनियमों के उद्देश्य के लिए दो वर्ष की अवधि को, एक अधिकारी के मामले में
जो बिना ब्रेक के, उसी पद या अन्य श्रेणी I पद से सेवानिवृत्त होने के बाद ही पुनः नियोजित होते हैं, तो बोर्ड की सेवा को छोडने की अंतिम तारीख से ही अवधि की गणना की जाएगी।

8 अपील

जब अध्यक्ष, आवेदन किए जाने पर अनुमति प्रदान करते हैं, बशर्ते कि किसी शर्त पर या ऐसी अनुमति को इनकार करते हैं तो अधिकारी अध्यक्ष के इस आदेश को प्राप्त करने की तारीख से प्रभावी तीस दिनों के अंदर, ऐसी शर्तों या इनकार के विरूद्ध केन्द्र सरकार को प्रतिवेदन कर सकते हैं और सरकार जैसा उचित समझे उस पर आदेश पारित कर सकती है।

बशर्ते कि कोई अन्य आदेश, सिवाय ऐसे जोकि इस विनियम के अधीन, बिना किसी शर्त के ऐसी अनुमति प्रदान करने या ऐसी शर्तों पर इनकार करने से परे होते हैं, बिना उस अधिकारी को प्रस्तावित आदेश के विरूद्ध प्रतिवेदन करने का अवसर दिए बगैर होता है, के आदेशों को जारी नहीं किया जाएगा।

फॉर्म ए

सेवानिवृत्ति के बाद दो वर्षों की अवधि के अंदर रोज़गार स्वीकार करने की अनुमति के लिए आवेदन का प्रपत्र

1 अधिकारी का नाम (बडे अक्षरों में)

2 सेवानिवृत्ति की तारीख

3 विभाग का विवरण जिसमें अधिकारी ने सेवानिवृत्त होने से पूर्व पाँच वर्ष की दौरान कार्य किया है (अवधि सहित)

अवधि के दौरान संभाला गया विभागीय पद का नाम

.....

से तक

---

4 सेवानिवृत्त होने के समय संभाला गया पद और संभाली गई अवधि

5 पद का वेतनमान और सेवानिवृत्त के समय अधिकारी द्वारा लिया गया वेतन

6 सेवानिवृत्ति लाभें

(i) अगर , अंशदायी द्वारा प्रशासनित है

भविष्य निधि योजना :

(ए) विशेष अंशदान की रकम

(बी) न्यास के अंशदान की रकम

(सी) कोई अन्य अंशदान की रकम

(ii) अगर , पेन्शन योजना द्वारा प्रशासनित है

(ए) स्वीकृत/मंजूरीकृत पेन्शन
(कम्यूटेशन, अगर कोई, तो उल्लेख करें)

(बी) उपदान, अगर कोई

7 लिए जाने वाले प्रस्तावित रोज़गार से संबंधी विवरण

(ए) फर्म/कंपनी/सहकारी समिति... इत्यादि का नाम

(बी) क्या अधिकारी ने अपने कार्यालयीन कार्यकाल के दौरान फर्म /कंपनी... इत्यादि के साथ किसी प्रकार का संपर्क रखा था

(सी) रोज़गार का नाम/दिया गया पद

(डी) क्या पद का विज्ञापन दिया गया था, अगर नहीं तो कैसे उन्हें दिया गया

(ई) रोज़गार/पद के कार्यभारों का विवरण

(एफ) क्या तूत्तुक्कुडि पत्तन न्यास के साथ इसका संपर्क/ठेका कार्य है

(जी) पद/रोज़गार के लिए दिया गया मानदेय

8 कोई अन्य सूचना जिसे आवेदक, अपने अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत करने की इच्छा रखता है

स्टेशन

तारीख

टिप्पणी प्रमुख विनियम भारत के राजपत्र में सा0का0नि0 सं0 106 (असा0), दिनांकित 1 मार्च, 1979 को प्रकाशित किये गए थें और बाद में भारत के राजपत्र के सा0का0नि सं0 122 (असा0) , दिनांकित 24 फरवरी, 1992 के जरिए संशोधित किया गया।